




**बगनासकाली गाउँपालिकाको
अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको
आर्थिक ऐन, २०८०**



बगनासकाली गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

चित्तुङ्गधारा, पाल्पा
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

**Email: baganaskali.rural@gmail.com,
Website: <https://baganaskalimun.gov.np/>**

प्रस्तावना :- बगनासनकाली गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकाले नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम बगनासकाली गाउँसभाबाट स्वीकृति गरिएको छ ।

स्वीकृति मिति : २०८०।०३।१८

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :-

(१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०८०” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०८० श्रावण १ गते देखि बगनासकाली गाउँपालिका क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।

२. सम्पत्ति कर तथा भूमीकर :- गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र देहाय बमोजिम सम्पत्ति कर र भूमीकर लगाइनेछ ।

(१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बनेका घर र सो घरले चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफलमा सम्पत्ति कर लगाइनेछ ।

(२) यस दफाको प्रयोजनका लागि घर भन्नाले घर, गोदाम, हल, टहरा, सेड जस्ता संरचनालाई सम्झनु पर्दछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउन भनि तोकिएका जग्गा बाहेकका अन्य जग्गामा भूमीकर लगाइने छ ।

(४) आ.व. ०८०/०८१ का लागि सम्पत्ति कर तथा भूमीकर प्रयोजनका लागि घर र जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन दर तथा मूल्यांकित रकममा लाग्ने सम्पत्ति करको दर अनुसूची (१) र (२) बमोजिम हुनेछ ।

(५) सम्पत्ति कर तथा भूमीकर सम्बन्धी थप व्यवस्थाका लागि कार्यविधि निर्माण गरिनेछ ।

३. घर बहाल कर :- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा बहाल रकमको १० प्रतिशतका दरले अनुसूची (३) बमोजिम घर/जग्गा बहाल कर लगाइने छ ।

४. व्यवसाय कर:- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा व्यवसायको प्रकृति, पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइनेछ ।

५. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर :- गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तु र गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन वा संकलन भएका पुनः प्रयोग हुन सक्ने मालबस्तु (रियुज) र प्रशोधन (रिसाइकल) पश्चात मात्र पुनः प्रयोग हुनसक्ने मालबस्तुमा अनुसूची (५) बमोजिमको दरमा कवाडी निकासी शुल्क लगाइने छ ।

६. सवारी साधन कर :- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइनेछ ।

७. विज्ञापन कर :- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र जडान भएका होडिङ्ग बोर्ड, ग्लो साइनबोर्ड, भित्तेलेखन र ब्यानरमा अनुसूची (७) बमोजिमको दरमा विज्ञापन कर लगाइनेछ ।

८. बहाल विटौरी शुल्क :- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र देहाय बमोजिम बहाल विटौरी शुल्क लगाइने छ ।

(१) अव्यवस्थित रूपमा बसोबास भएका स्थानमा घरले चर्चेको जग्गा र जग्गामा निर्माण भएको घरको अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन वापत बहाल विटौरी शुल्क लगाइनेछ ।

(२) उपदफा १ प्रयोजनका लागि आ.व. ०८०/०८१ का लागि घर जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन दर अनुसूची (१) र (२) को दरमा करको हिसाव गरिनेछ ।

- (३) सार्वजनिक/सरकारी जग्गामा संरचना बनाई व्यवसाय संचालन गरे वापत अनुसूची (८) बमोजिम बहाल विटौरी शुल्क लगाइनेछ ।
९. **पार्किङ शुल्क** :- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पार्किङ स्थल तोकी सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची (९) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाईने छ ।
१०. **ट्रेकिङ,कोयोकिड, क्यानोइङ, बन्जीजम्पिङ, जिपफ्लायर र च्याप्टिङ शुल्क** :- गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र किङकोयोकिड, क्यानोइड, बन्जीजम्पिङ, जिपफ्लायर र च्याप्टिङ सेवा वा व्यवसाय संचालन गरे वापत अनुसूची (१०) बमोजिम शुल्क लगाईनेछ ।
११. **धार्मिक/पर्यटन स्थल दर्ता र अनुमति शुल्क तथा दस्तुर** :- गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची (११) मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराईने सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईनेछ ।
१२. **सडक मर्मत सुधार शुल्क** :- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र गाउँपालिकाले निर्माण सञ्चालन गरेका सडकहरुमा चल्ने सवारी साधनमा अनुसूची -१२ बमोजिमको सेवा शुल्क लगाइनेछ ।
१३. **सेवा शुल्क तथा दस्तुर** :- कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची-१३ बमोजिम सेवा शुल्क तथा दस्तुर लिइनेछ ।
१४. **प्राकृतिक श्रोत उत्खनन/निकासी कर** :- नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा, मिस्कट) र निजी जग्गाबाट निकासी विक्री गरिने प्राकृतिक श्रोतजन्य मालबस्तुमा अनुसूची-१४ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिमको दर कायम गरिनेछ ।
१५. **सम्पत्ति भाडा** :- कार्यालयको सम्पत्ति तथा मेशिनरी उपकरणमा अनुसूची-१५ बमोजिमको भाडा दर कायम गरिएको छ ।
१६. **दण्ड जरिवाना** :- गाउँपालिकालाई मासिक वा वार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्ने कर समयभित्र नबुझाएमा वा ऐन नियम विपरीत नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा,गिट्टी, बालुवा,मिस्कट) निजी जग्गाको ढुङ्गा, माटो, मिस्कट अवैध रुपमा निकासी, विक्री गरेमा अनुसूचि-१६ बमोजिमको दरमा दण्ड जरिवाना तथा विलम्ब शुल्क असुल गरिनेछ ।
१७. **कर छुट दिन सकिने** :-
१. यस ऐन बमोजिम सम्पत्ति कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिम कर छुट दिन सकिनेछ ।
 - (क) आ.व. ०८०/०८१ मा बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति कर, भूमिकर तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन शुल्क २०८० आश्विन मसान्तभित्र बुझाएमा कर रकमको १० प्रतिशतले हुने रकम र ०८० पौष मसान्तभित्र बुझाएमा ५ प्रतिशतले हुने रकम छुट दिइनेछ ।
 - (ख) एकल महिलाको नाममा रहेको सम्पत्तिमा र कम्तिमा २० जना नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने उत्पादनमुलक चालु उद्योगको नाममा रहेको सम्पत्तिमा लाग्ने कर रकममा १५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
 २. यस ऐन बमोजिम व्यवसाय कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिम कर छुट दिन सकिनेछ ।
 - (क) आ.व. ०८०/०८१ मा बुझाउनु पर्ने व्यवसाय कर ०८० आश्विन मसान्तभित्रै बुझाएमा कर रकमको १० प्रतिशतले हुने रकम र ०८० पौष मसान्तभित्र बुझाएमा कर रकमको ५ प्रतिशत रकम छुट दिइनेछ ।
 - (ख) कृषि उपज उत्पादन तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करको ५% ले हुने रकम छुट दिइनेछ ।
 - (ग) महिला मात्र सदस्य भएको सरकारी संस्थाको व्यवसाय करमा २५% छुट दिइनेछ ।
 - (घ) वातावरण प्रदुषण कम गर्ने प्लान्ट जडान गरी वातावरण कम गर्ने उद्योग र आफ्नो उत्पादन प्लाष्टिकको सट्टामा कपडा वा कागजमा प्याकिङ गर्ने उद्योगलाई लाग्ने व्यवसाय करमा २५% ले हुने रकम छुट दिइनेछ ।

(ड) कर ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्योग, व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा सत प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

१८. कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धि कार्यविधि :- यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउँ कार्यपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

अनुसूची - १

(ऐनको दफा २ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

| संरचनको किसिम | आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर | सिमेन्टको जोडाईमा इटा वा हुंगाको गारो- आर. सि. सि. छाना | माटोको जोडाईमा इटा वा हुंगाको गारो- आ. सि. सि. वा सिमेन्ट जोडाईमा इटा वा हुंगाको गारो- जस्ता/टायलको छाना | माटोको जोडाईमा इटा वा हुंगाको गारो- जस्ता/टायलको छाना | सेड वा कच्ची घर |
|----------------------|---------------------------|---|--|---|-----------------|
| दर प्रति वर्ग फिट रु | १,५००/- | १,२००/- | १,०००/- | ८००/- | ५००/- |

सम्पत्ति कर

अनुसूची - २

(दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

| कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य | वार्षिक करको दर | |
|---|-----------------|-------|
| रु ३ लाख सम्म | न्यूनतम रु | १००/- |
| रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | एकमुष्ठ रु | २००/- |
| पाँच लाख भन्दा माथि दश लाख सम्म | प्रतिलाख थप रु | ४०/- |
| दश लाख भन्दा माथि विस लाख सम्म | प्रतिलाख थप रु | ४५/- |
| विस लाख भन्दा माथि पचास लाख सम्म | प्रतिलाख थप रु | ५०/- |
| पचास लाख भन्दा माथि एक करोड सम्म | प्रतिलाख थप रु | ५५/- |
| एक करोड माथि एक करोड पचास लाख सम्म | प्रतिलाख थप रु | ६०/- |
| एक करोड पचास लाख भन्दा माथि दुई करोड सम्म | प्रतिलाख थप रु | ७०/- |
| दुई करोड भन्दा माथि | प्रतिलाख थप रु | ८०/- |

भूमि कर (मालपोत)

| क्र. सं. | विवरण | अवल | दोयम | सीम | चाहार |
|----------|-------------------------|------|------|------|-------|
| १. | खेत (प्रति रोपनी) | २५/- | २०/- | १५/- | १०/- |
| २. | पाखो/बारी (प्रति रोपनी) | २०/- | १५/- | १०/- | ५/- |

अनुसूची - ३

(दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

घर/जग्गा बहाल कर

| | | | |
|----|------------|--|--|
| १. | घर बहाल कर | | |
|----|------------|--|--|

| क्र. सं. | विवरण | करको दर | कैफियत |
|----------|---|----------------|--------|
| १-१ | घर भाडा वापत घरधनीले पाउने बहाल रकमको | १० % (प्रतिशत) | |
| २ | अन्य बहाल कर | | |
| २-१ | भवन, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी भाडामा लगाए वापत पाउने बहाल रकमको | १० % (प्रतिशत) | |

अनुसूची - ४

(दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

ब्यवसाय कर

| क्र. सं. | विवरण | दर्ता शुल्क | वार्षिक कर | कैफियत |
|----------|---|--------------|------------|--------|
| १. | उपभोग्य सामाग्री कर (खुद्रा,किराना पसल) | | | |
| १-१ | रु एक लाख सम्म पूँजी लगानी | २००१- | १००१- | |
| १-२ | रु दुई लाख सम्म पूँजी लगानी | ५००१- | ३००१- | |
| १-३ | रु पाँच लाख सम्म पूँजी लगानी | ८००१- | ४००१- | |
| १-४ | रु दश लाख सम्म पूँजी लगानी | १,५००१- | १,०००१- | |
| २. | किराना पसला थोक | | | |
| २-१ | रु ३० लाख सम्म पूँजी लगानी | २,५००१- | १,५००१- | |
| २-२ | रु ३० लाख माथि पूँजी लगानी | ५,०००१- | २,५००१- | |
| ३. | तरकारी तथा फलफुल पसल | | | |
| ३-१ | रु १ लाख सम्म पूँजी लगानी | २००१- | १००१- | |
| ३-२ | रु २ लाख सम्म पूँजी लगानी | ५००१- | ३००१- | |
| ३-३ | रु २ लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | १,०००१- | ५००१- | |
| ४. | मासु र माछा पसल | १,०००१- | ५००१- | |
| ५. | ब्यापार | | | |
| ५-१ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १,०००१- | ७००१- | |
| ५-२ | रु १० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | १,५००१- | १,०००१- | |
| ५-३ | डोके, मोवाइल) भाडा विक्रेता अनुमति | १,०००१- देखि | २,५००१- | |
| ६. | हार्डवेयर पसल | | | |
| ६-१ | रु १० लाख सम्म पूँजी लगानी | २,०००१- | १,०००१- | |
| ६-२ | रु २० लाख सम्म पूँजी लगानी | ३,०००१- | १,५००१- | |
| ६-३ | रु २० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | ४,०००१- | २,०००१- | |
| ७. | रड, सिमेन्ट, कर्कतपाता रु १० लाख देखि २० लाख सम्म पूँजी लगानी । | ३,०००१- | १,५००१- | |
| ८. | रड रोगन, शिशा, प्लाइउड विक्रेता एकमुष्ट | ३,०००१- | १,५००१- | |
| ९. | विद्युतीय सामाग्री विक्री तथा मर्मत जस्तै (टिभि, फ्रिज, कम्प्युटर, वासिड मेसिन, मोवाइल लगायत अन्य) | | | |
| ९-१ | रु १० लाख सम्म पूँजी लगानी | १,५००१- | १,०००१- | |
| ९-२ | रु १० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | २,५००१- | १,५००१- | |
| १०. | विजुलीको सामान पसल | | | |
| १०-१ | रु १० लाख सम्म पूँजी लगानी | १,५००१- | १,०००१- | |
| १०-२ | रु १० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | २,५००१- | १,५००१- | |
| ११. | सेनेटरी सामान पसल | | | |

| क्र. सं. | विवरण | दरता शुल्क | वार्षिक कर | कैफियत |
|-----------|--|-------------|------------|--|
| १११ | रु १० लाख सम्म पूँजी लगानी | १,५००१- | १,०००१- | |
| ११२ | रु १० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | २,५००१- | १,५००१- | |
| १२ | फर्निचर पसल | | | |
| १२१ | रु १० लाख सम्म पूँजी लगानी | २,०००१- | १,०००१- | |
| १२२ | रु २० लाख सम्म पूँजी लगानी | ३,०००१- | २,०००१- | |
| १२३ | रु २० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | ४,०००१- | ३,०००१- | |
| १३ | कपडा पसल | | | |
| १३.१ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १५००१- | १०००१- | स्थानीय तह घोषणा हुनु पूर्व सम्बन्धित निकायमा र स्थानीय तह घोषणा भई सकेपछि नियमानुसार गाउँपालिका |
| १३.२ | रु २० लाख सम्म पूँजी लगानी | ३०००१- | २०००१- | |
| १३.३ | रु २० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | ४०००१- | ३०००१- | |
| १३.४ | पोके (लत्ता कपडा विक्रेता) अनुमति | १०००-२५००१- | | |
| १४ | फेन्सी पसल | | | मा दरता भएका ब्यापार व्यवसाय, संघ संस्था र समूह समिति प्रत्येक आव-समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र नियमानुसार नविकरण गराई सक्नु पर्नेछ । त्यस पछि पौष मसान्तसम्म थप ५०% (प्रतिशत) र पौष मसान्त पछि सत प्रतिशत शुल्क लिई नविकरण गरिनेछ । |
| १४.१ | रु २ लाख सम्म पूँजी लगानी | ५००१- | ३००१- | व्यवसाय प्रमाण पत्रमा व्यवसाय वा कारोवार पुँजी थप गर्दा शुरुको दरता दस्तुर बराबरको रकम लाग्नेछ । |
| १४.२ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १०००१- | ५००१- | |
| १४.३ | रु ५ लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | १५००१- | १०००१- | |
| १५ | आर्ट व्यवसाय, फोटो स्टुडियो | | | |
| १५.१ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १०००१- | ५००१- | |
| १५.२ | रु ५ लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | २०००१- | १०००१- | |
| १६ | गिफ्ट, स्टेशनरी, पुस्तक पसल | | | |
| १६.१ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १०००१- | ५००१- | |
| १६.२ | रु ५ लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | १५००१- | १०००१- | |
| १७ | वर्कशप | २०००१- | १०००१- | |
| १७.१ | मोटरसाइकल वर्कसप/टायर ट्युब मर्मत | १०००१- | ५००१- | |
| १८ | फ्रेस हाउस, मासु पसल थोक विक्रेता | ३०००१- | १५००१- | |
| १९ | व्युटीपार्लर तथा कस्मेटिक पसल | १०००१- | ५००१- | |
| २० | सुन चाँदी पसल एक मुष्ठ | ३,०००१- | २,०००१- | |
| २१ | टेण्ट हाउस र क्याटरिङ्ग एक मुष्ठ | २०००१- | १५००१- | |
| २२ | मदिरा पसल(विक्री मूल्यमा २५%ले लगाउने) | २५% | | |
| २३ | कपडा पसल तथा सिलाई कटाई सहित | | | |
| २३.१ | रु २ लाख सम्म पूँजी लगानी | १०००१- | ५००१- | |
| २३.२ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १५००१- | १०००१- | |
| २३.३ | रु ५ लाख भन्दा माथि २० लाख सम्म पूँजी लगानी | २०००१- | १५००१- | |
| २३.४ | सिलाई/टेलरिङ्ग सेन्टर (एकमुष्ठ) | १०००१- | ५००१- | |
| २४ | सैलुन एक मुष्ठ | १०००१- | ५००१- | |
| २५ | व्युटीपार्लर ट्रेनिङ्ग सेन्टर | २०००१- | १५००१- | |
| २६ | डोको, नाम्लो, भकारी, प्लाष्टिक तथा वेतवासका सामानहरू एकमुष्ठ | ५००१- | २००१- | |
| २७ | कवाडी व्यवसाय एक मुष्ठ | २०००१- | १०००१- | |
| २८ | वैकल्पिक ऊर्जा एकमुष्ठ | २०००१- | १०००१- | |
| २९ | चश्मा पसल एकमुष्ठ | १०००१- | ५००१- | |
| ३० | कृषि तथा पशु सेवा तर्फ एकमुष्ठ | | | |

| क्र. सं. | विवरण | दरता शुल्क | वार्षिक कर | कैफियत |
|----------|---|------------|------------|--------|
| ३०-१ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १०००१- | ५००१- | |
| ३०-२ | रु ५ लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | ३०००१- | २०००१- | |
| ३०-३ | पोल्ट्री फर्म एकमुष्ठ | २०००१- | १०००१- | |
| ३०-४ | कृषि/पशु फर्म एकमुष्ठ | १०००१- | ५००१- | |
| ३१-१ | एगोभेट दरता एकमुष्ठ | १०००१- | ५००१- | |
| ३१-२ | कृषि उपकरण मर्मत सेन्टर एकमुष्ठ | १०००१- | ५००१- | |
| ३१-३ | रासायनिक मल, विऊ विजन, दाना, चल्ला विक्री भेटेनरी सेवा, नर्सरी समेतको क्षेत्र | २५००१- | १५००१- | |
| ३१-४ | कृषि समूह दरता | २००१- | १००१- | |
| ३१-५ | कृषि समूह दरता खारेजी | २००१- | | |
| ३१-६ | मलखाद विक्रेता दरता सिफारिस | ३०००१- | १५००१- | |
| ३१-७ | गाई,भैसी स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा | १००१- | | |
| ३१-८ | भेडा,बाखा,बंगुर,कुकुर,विराला खरायो लगायतका चौपाया परामर्श सेवा | १००१- | | |
| ३१-९ | हास,कुखुरा,परेवा लगायत पंक्षीहरु परामर्श | १००१- | | |
| ३१-१० | प्रयोगशाला सेवा | १००१- | | |
| ३१-११ | बोका बन्ध्याकरण | १००१- | | |
| ३१-१२ | साँढे बन्ध्याकरण | २००१- | | |
| ३१-१३ | कृत्रिम गर्भाधान सेवा | १००१- | | |
| ३१-१४ | गर्भ परीक्षण | १००१- | | |
| ३१-१५ | नर्सरी विरुवा विक्री वितरण फर्म | १०००१- | ५००१- | |
| ३२- | होटल ब्यवसाय तर्फ : | | | |
| ३२-१ | सुविधा सम्पन्न ब्यवसायिक रिसोर्ट | ५०००१- | ३०००१- | |
| ३२-२ | सुविधा सम्पन्न खाना तथा बासको ब्यवस्था भएको | ३०००१- | २०००१- | |
| ३२-३ | स-साना खाजा तथा खाना, चिया पसल | १०००१- | ५००१- | |
| ३२-४ | घुम्ती तथा ठेला पसल | २००१- | | |
| ३३- | स्वास्थ्य सेवा तर्फ : | | | |
| ३३-१ | क्लिनिक | २०००१- | १०००१- | |
| ३३-२ | औषधी पसल थोक विक्रेता | ४०००१- | २०००१- | |
| ३३-३ | औषधी पसल खुद्रा विक्रेता | २०००१- | १०००१- | |
| ३३-४ | नीजि अस्पताल तथा नर्सिङ होम | २०,०००१- | १०,०००१- | |
| ३३-५ | नीजि क्लिनिक तथा ल्याव सेवा | २०००१- | १०००१- | |
| ३४- | कम्पनी तर्फ : | | | |
| ३४-१ | विज्ञापन एजेन्सी | २०००१- | १०००१- | |
| ३४-२ | परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी/कम्पनी) | ३०००१- | २०००१- | |
| ३४-३ | वोर्डिङ्ग स्कुल (आधारभूत १-८) | २०००१- | | |
| ३४-४ | वोर्डिङ्ग स्कुल माध्यमिक | ३०००१- | | |
| ३४-५ | निजी क्याम्पस, उच्च मा. वि. | ५०००१- | | |
| ३४-६ | पूर्व आधारभूत तह (मन्टेश्वरी) | १०००१- | | |
| ३४-७ | कानूनी परामर्श तथा लेखापढी सेवा | १०००१- | ५००१- | |
| ३४-८ | इन्जिनियरिङ्ग परामर्श सेवा | ५०००१- | ३०००१- | |
| ३४-९ | शैक्षिक परामर्श सेवा | १०००१- | ५००१- | |

| क्र. सं. | विवरण | दर्ता शुल्क | वार्षिक कर | कैफियत |
|----------|--|-------------|------------|--------|
| ३४१० | कम्प्युटर,फोटोकपी,ट्युशन,भाषा शिक्षण सेवा | १५००१- | ७००१- | |
| ३४११ | Ncell एन सेल टावर सूचिकृत | २,०००१- | २०,०००१- | |
| ३४१२ | इन्टरनेट टावर सूचिकृत | १,०००१- | ५,०००१- | |
| ३४१३ | केबुल प्रसारण कम्पनी सूचिकृत | १,०००१- | ५०००१- | |
| ३५ | वित्तीय संस्था तर्फ : | | | |
| ३५.१ | क वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्था सूचिकृत | २,०००१- | १०,०००१- | |
| ३५.२ | ख वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्था सूचिकृत | १,५००१- | ७,०००१- | |
| ३५.३ | ग वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्था सूचिकृत | १,२००१- | ५,०००१- | |
| ३५.४ | घ वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्था सूचिकृत | १,०००१- | ३,०००१- | |
| ३५.५ | शाखा रहित वैकिङ्ग सेवा सूचिकृत | ५००१- | १,०००१- | |
| ३५.६ | लघु वित्तीय संस्था सूचिकृत | ७००१- | २,०००१- | |
| ३६ | सहकारी संस्था लि. तर्फ : | | | |
| ३६.१ | वार्षिक रु १ करोड सम्म कारोवार | | १,०००१- | |
| ३६.२ | वार्षिक १ करोड देखि माथि ३ करोडसम्म कारोवार | | २,०००१- | |
| ३६.३ | वार्षिक ५ करोड भन्दा माथि कारोवार | | ३,०००१- | |
| ३६.४ | रेमिटेन्स सेवा वार्षिक | | २,०००१- | |
| ३६.५ | बीमा कम्पनी सूचिकृत | ५,००१- | २,०००१- | |
| ३७ | उद्योग तर्फ : | | | |
| ३७.१ | पाउरोटी, आईसकिम, विस्कुट, चाउमिन तथा दालमोट लगायतका उद्योग | २,५००१- | १,५००- | |
| ३७.२ | पोलिथिन पाईप तथा अन्य प्लाष्टिक उद्योग | ५,०००१- | ३,०००१- | |
| ३७.३ | स्टील फर्निचर निर्माण उद्योग | ५,०००१- | ३,०००१- | |
| ३७.४ | ह्यूम पाईप, विद्युत पोल, तारवार पोल, सिमेन्ट ब्लक र सिमेन्ट सिमेन्ट रेलिड उद्योग | १०,०००१- | ६,०००१- | |
| ३७.५ | मैनबत्ति तथा अगरबत्ति उद्योग | १,०००१- | ५००१- | |
| ३७.६ | मसला उद्योग | १,०००१- | ५००१- | |
| ३७.७ | हुंगा, बालुवा, गिट्टी खानी संचालन सिफारिस | १०,०००१- | | |
| ३७.८ | भोला उद्योग | २,०००१- | १,०००१- | |
| ३७.९ | डेरी उद्योग तथा (दुग्ध सम्बन्धी)अन्य व्यवसाय | २,०००१- | १०००१- | |
| ३७१० | ग्रील सटर उद्योग | ५,०००१- | ३,०००१- | |
| ३७११ | मील (कुटानी, पिसानी, पेलानी) | १,०००१- | ५००१- | |
| ३७१२ | पानी घट्ट | ५००१- | २००१- | |
| ३७१३ | कुटानी पिसानी सानो मील | ३००१- | १००१- | |
| ३७१४ | क्रसर उद्योग वार्षिक (अस्थायी) | | ५०,०००१- | |
| ३७१५ | बालुवा धुने उद्योग वार्षिक | २५,०००१- | | |
| ३७१६ | ग्यास उद्योग प्रति सिलिण्डर | ११- | | |
| ३७१७ | बालुवा खानी तथा हुंगाखानी दर्ता सिफारिस दस्तुर | १५,०००१- | | |

| क्र. सं. | विवरण | दर्ता शुल्क | वार्षिक कर | कैफियत |
|----------|--|----------------|----------------|--------|
| ३७१८ | बालुवा खानी तथा ढुंगाखानी नविकरण सिफारिस दस्तुर | ३,०००।- | | |
| ३७१९ | बालुवा तथा ढुंगा खानी नामसारी सिफारिस दस्तुर | ८,०००।- | | |
| ३७२० | इटा र टायल उद्योग सञ्चालन दस्तुर | १०,०००।- | | |
| ३७२१ | मादल खैजडी लगायत स्थानीय बाजा निर्माण मर्मत तथा विक्री | १,०००।- | ५००।- | |
| ३७२२ | सिरक डसना उद्योग | २,०००।- | १,५००।- | |
| ३७२३ | छाल जुत्ता उत्पादन तथा विक्री पसल | १,०००।- | ५००।- | |
| ३८ | निर्माण व्यवसायी आवद्धता दस्तुर (सूचिकृत) | | | |
| ३८-१ | क श्रेणी | २५,०००।- | | |
| ३८-२ | ख श्रेणीको | १५,०००।- | ० | |
| ३८-३ | ग श्रेणीको | १०,०००।- | ० | |
| ३८-४ | घ श्रेणीको(गा. पा. मा दर्तानभएका हकमा) | १०,०००।- | ० | |
| ३८-५ | घ श्रेणीको (गा. पा. मा दर्ता भएका) | ५,०००।- | ० | |
| ३९ | ट्रान्सपोर्ट सेवा | ३,०००।- | २,०००।- | |
| ४० | व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी | दर्ता दस्तुरको | ५० प्रतिशत | |
| ४१ | व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रमा व्यवसाय वा कारोवार थप | शुरुको दर्ता | दस्तुर बराबरको | रकम |
| | माथि उल्लेख हुन छुट भएका व्यवसायहरूलाई व्यवसायको प्रकृति हेरी उक्त प्रकृतिसँग मेल खाने किसिमको दरमा रु ५००। देखि रु १०,०००।- सम्म लिने । | | | |
| | | | | |

अनुसूची - ५
(दफा ६ सँग सम्बन्धित)
जीव जन्तु, जडिबुटी र कवाडी कर

| क्र. सं. | विवरण | दर (रु) | कैफियत |
|----------|---|---------|--------|
| १ | चौपाया, चखेरु जन्य पदार्थ एवं अङ्ग | | |
| १-१ | हाड प्रति के. जी. | १।- | |
| १-२ | सिङ प्रति के. जी. | २।- | |
| १-३ | खुर प्रति के. जी. | २।- | |
| १-४ | छाला सानो (भेडा बाखा) प्रति के. जि. | १५।- | |
| १-५ | छाला ठूलो (गाई भैसी) प्रति के. जि. | २५।- | |
| १-६ | हास, कुखुरा जस्ता पंक्षीहरूको प्वाँख प्रति के. जी. | १।५० | |
| २ | वन पैदवार | | |
| २-१ | वन नियमावलीले तोकेको जडीबुटी प्रति के. जी. | ।२५ | |
| २-२ | बनकस, अम्रिसो, कुचो, बावियो, पराल, लोकता र निगालो प्रति के. जी. | ५।- | |
| २-३ | खोटो (लिसा) प्रति के. जि. | ।५० | |
| २-४ | सालको विया प्रति के. जी. | ।७५ | |
| २-५ | सल्लाको सिम्टा प्रति के. जि. | ।२५ | |
| ३ | कवाडी संकलन | | |

| क्र. सं. | विवरण | दर (रु) | कैफियत |
|----------|--|------------|---------|
| | स्वदेशमा स्थापना भएका उद्योगहरूले जे जस्तो अवस्थामा छ सोही रूपमा पुनःप्रयोग (Re-Use) गर्ने देहायका बस्तुमा देहाय बमोजिम संकलन दर तोकिएको छ : | | |
| ३१ | खाली शिशी लगायतका पुराना सामान संकलन अनुमति | एकमुष्ठ | १,०००।- |
| ३२ | खाली सिसी वियर बोतल | प्रति गोटा | १।- |
| ३३ | खाली शिशी (चिसो पेय) प्रति गोटा | प्रति गोटा | १।- |
| ३४ | खाली शिशी (मदिरा र अन्य) ५०० एम. एल. भन्दा माथि | प्रति गोटा | १५० |
| ३५ | खाली शिशी (मदिरा र अन्य) ५०० एम. एल. भन्दा तल | प्रति गोटा | १२५ |
| ३६ | प्लाष्टिक(बोतल, भाँडाकुँडा, पुराना जुत्ता चप्पल, ग्यालेन, जर्किन) | प्रति किलो | ३।- |
| | खाली बोरा : | | |
| ३७ | ५० के जी. सम्म खाद्यान्न अट्टने प्लाष्टिक बोरा | प्रति गोटा | १२५ |
| ३८ | ५० के जी. सम्म खाद्यान्न अट्टने जुटका बोरा | प्रति गोटा | २।- |
| ३९ | १०० के जी सम्म खाद्यान्न अट्टने जुटका बोरा | प्रति गोटा | ५।- |
| ३१० | १० लिटर भन्दा बढी अट्टने तेलको टिन ठूलो | प्रति गोटा | २।- |
| ३११ | १० लिटर भन्दा कम अट्टने तेलको टिन सानो | प्रति गोटा | १।- |

प्रशोधन गरि पुनः प्रयोग हुन सक्ने देहायका कवाडी मालसामानमा देहाय बमोजिमको दर कायम गरिएको ।

| क्र. सं. | माल बस्तुको विवरण | इकाई | दर रु | कैफियत |
|----------|---|--------------|-------|--------|
| १. | गार्मेन्ट कपडाको टुक्रा | प्रति के जि. | २।- | |
| २. | जलेको मोविल | प्रति लिटर | १।- | |
| ३. | जुट र प्लाष्टिकका बोरा | प्रति के जी. | ०।२० | |
| ४. | कार्पेटका टुक्रा | प्रति के जी. | २।- | |
| ५. | टायर ट्युब | प्रति के जी. | २।- | |
| ६. | थोत्रो टिन | प्रति के जी. | १५० | |
| ७. | पुरानो ड्रम | प्रति के जी. | १।- | |
| | पुराना कागज : | | | |
| ८. | अखवार न्यूजप्रिन्ट | प्रति के जी. | ५।- | |
| ९. | अन्य कागज (कार्टुन समेत) | प्रति के जी. | १।- | |
| | धातुका टुक्राहरू र पत्रु भई काम नलाग्ने भएका धातुका सामानहरू : | | | |
| १० | फलाम | प्रति किलो | ५।- | |
| ११ | तामा | प्रति किलो | १००।- | |
| १२ | पित्तल | प्रति किलो | ५०।- | |
| १३ | सिल्वर, गिल्टी ढलोटका पुराना भाडा कुँडा | प्रति किलो | २५।- | |
| १४ | काँशका पुराना भाडा कुँडा | प्रति किलो | १००।- | |
| १५ | थोत्रिएर काम नलाग्ने मेसिनरी औजार | प्रति किलो | २।- | |
| १६ | पोलिथिन पाईपका टुक्राहरू | प्रति किलो | १।- | |
| १७ | सिसा लिड को धुलो वा टुक्रा | प्रति किलो | ४।- | |
| १८ | काँचको धुलो र टुक्रा | प्रति किलो | १।- | |

अनुसूची - ६

(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

सवारी साधन कर

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने देहायका सवारी साधनमा पहिलो पटक सवारी दर्ता र वार्षिक रुपमा नविकरण गर्दा लाग्ने करको दर निम्न अनुसार हुनेछ :

| क्र. सं. | सवारी साधनको किसिम | दर्ता तथा इजाजत | वार्षिक कर |
|----------|--------------------|-----------------|------------|
| १. | अटोरिक्सा | रु. १,०००।- | ५००।- |
| २. | विद्युतीय रिक्सा | रु. १,०००।- | ५००।- |
| ३. | रिक्सा तथा ठेला | रु. ५००।- | २००।- |

अनुसूची - ७

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

विज्ञापन कर

| क्र. सं. | विवरण | करको दर | कैफियत |
|----------|---|------------|--------|
| १. | ग्लो साइनबोर्ड, डिपिएस बोर्ड प्रति वर्ग फिट | रु. २०।०० | |
| २. | व्यानर (वढीमा एक महिनासम्मको लागि) प्रति गोटा | रु. २००।०० | |
| ३. | आफ्नो व्यवसायको पहिचानको लागि व्यवसाय स्थलमा राखेको साइनबोर्डको | कर नलाग्ने | |

अनुसूची - ८

(दफा १० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

बहाल विटौरी शुल्क

गाउँपालिका क्षेत्रमा आफुले निर्माण, रेखदेख र सञ्चालन गरेको हाटबजार, सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा सार्वजनिक बाटोको छेउछाउमा अस्थायी पसल थाप्न दिए वापत प्रति वर्ग फिटका दरले मासिक/वार्षिक बहाल विटौरी शुल्क लिइनेछ ।

| क्र. सं. | विवरण | करको दर रु. (वार्षिक) |
|----------|----------------------------------|-----------------------|
| १. | व्यापार प्रयोजनलाई प्रति वर्गफुट | २५।- |
| २. | आवासीय प्रयोजनलाई प्रति वर्गफुट | १५।- |

अनुसूची - ९

(दफा १० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

पार्किङ्ग शुल्क

| क्र. सं. | विवरण | शुल्कको दर रु. (प्रतिदिन/पटक) |
|----------|---|-------------------------------|
| १. | ४ चार पांग्रे ठुला सवारी साधन | ३०।- |
| २. | चार पांग्रे मझौला सवारी साधन | २५।- |
| ३. | दुई पांग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल/स्कुटर) | १०।- |

अनुसूची - १०

(दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ्ग, क्यानोइङ्ग, बन्जि जम्पिङ्ग, जिपफल्यायर तथा च्याफिटिङ्ग शुल्क

- १) ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ्ग, क्यानोइङ्ग, बन्जि जम्पिङ्ग, जिपफल्यायर र रोपवे जल विहार शुल्क - प्रतिटिम प्रति पटक रु १,०००।- (एक हजार रुपैया)
- २) ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ्ग, क्यानोइङ्ग, बन्जि जम्पिङ्ग, जिपफल्यायर र रोपवे जल विहार दर्ता शुल्क - प्रतिटिम प्रति पटक रु ३,०००।- (तीन हजार रुपैया)
- ३) ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ्ग, क्यानोइङ्ग, बन्जि जम्पिङ्ग, जिपफल्यायर र रोपवे जल विहार नविकरण शुल्क - प्रतिटिम प्रति पटक रु १,८००।- (एक हजार आठ सय रुपैया)

अनुसूची - ११

(दफा १२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
धार्मिक/पर्यटन स्थल दर्ता र अनुमति शुल्क

| क्र.सं. | विवरण | दर्ता शुल्क रु. | नविकरण | कैफियत |
|---------|--|-----------------|--------|--------|
| १ | सन्तोक बौद्ध गुम्बा धार्मिक क्षेत्र | ५००।- | ३००।- | |
| २ | माडी लालपाटी माण्डव्य तपोभूमि नौबिसे | ५००।- | ३००।- | |
| ३ | नायरकोट, पारिडाँडा, वामरीकोट पर्यटन पूर्वाधार | ५००।- | ३००।- | |
| ४ | नायरडाँडा | ५००।- | ३००।- | |
| ५ | कोटघर, वामरीकोट, तिनछागा पैदल मार्ग, चमेरे गुफा | ५००।- | ३००।- | |
| ६ | महामृत्युञ्जय शिवासन मन्दिर | ५००।- | ३००।- | |
| ७ | बगनासकाली गाउँपालिका भित्र अवस्थित स्थानीय मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, देवालयहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि | ५००।- | ३००।- | |
| ८ | सिद्ध गुफा राम्दी | ५००।- | ३००।- | |

अनुसूची - १२

(दफा १३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
सडक मर्मत सुधार सेवा शुल्क

गाउँपालिकाका निम्न सडकहरुमा देहायको दरमा सडक मर्मत सुधार सेवा शुल्क लिइनेछ :

- १) मुख्य सडक रकम रु
- २) शाखा सडक रकम रु
- ३) ग्रामीण सडक रकम रु

सेवा शुल्कको दर :

| सि. नं. | सवारी साधन | वार्षिक दर्ता रु. | वार्षिक नविकरण | कैफियत |
|---------|--------------------------|-------------------|----------------|--------|
| १ | दुवानी सेवा साना गाडीहरु | १,०००।- | ५००।- | |
| २ | दुवानी सेवा ठुला गाडीहरु | २,०००।- | १,०००।- | |

अनुसूची - १३

(दफा १४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
सेवा शुल्क तथा दस्तुरको दर

| सि. नं. | विवरण | शुल्क तथा दस्तुरको दर रु. | कैफियत |
|---------|--|------------------------------|--------|
| | अन्य सिफारिस दस्तुर | | |
| १. | मन्त्रालय/विभाग/संघ | १००१०० | |
| २. | मन्त्रालय/विभाग/प्रदेश | १००१०० | |
| ३. | डिभिजन | १००१०० | |
| ४. | अन्य | १००१०० | |
| ५. | घर/भवनका नक्सापास पुस्तिका | ७००१०० | |
| ६. | घर/भवनको सम्पन्न प्रमाण पत्र दस्तुर | ५००१०० | |
| ७. | घर/भवनको नक्सापास प्रमाण पत्र प्रतिलिपि दस्तुर | ६००१०० | |
| ८. | संस्थागत सिफारिश | १००१०० | |
| ९. | नयाँ नागरिकता सिफारिस | १००१०० | |
| १०. | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिश प्रथम (सो पछि प्रति पटक रु १००१-थप) | २००१०० | |
| ११. | मुचुल्का सहितको नागरिकता सिफारिश | ३००१०० | |
| १२. | अंगिकृत नागरिकता सिफारिश | ५००१०० | |
| १३. | प्रहरी मुचुल्का सिफारिश | १००१०० | |
| १४. | चार किल्ला प्रमाणित (बाटोसँग जोडिएको) | ५००१०० | |
| | चार किल्ला प्रमाणित (बाटोले नछोएको) | ३००१०० | |
| १५. | घर बाटो सिफारिश | ३००१०० | |
| १६. | फोटो सहितको नाता प्रमाणित (नेपालीमा) | ३००१०० | |
| | फोटो सहितको नाता प्रमाणित (अंग्रेजीमा) | ५००१०० | |
| १७. | जग्गा नामसारी/श्रेस्ता कायम सिफारिश | ३००१०० | |
| १८. | वेपत्ता नागरिकको जग्गा नामसारी सिफारिश | १,०००१०० | |
| १९. | भारत जाने आउने सिफारिश | ३००१०० | |
| २०. | संस्था दर्ता सिफारिस दस्तुर | ५००१०० | |
| २१. | संस्था नवीकरण सिफारिस | ३००१०० | |
| २२. | वैदेशिक प्रयोजनको लागि सिफारिश | ५००१०० | |
| २३. | विद्युत मिटर सिफारिश | १००१०० | |
| २४. | उद्योग दर्ता सिफारिश | १५००१०० | |
| २५. | व्यापार व्यवसाय दर्ता सिफारिश (वडा बाट गा.पा. मा) | २००१०० | |
| २६. | कुटानि पिसानि, पेलानी मिल दर्ता (ठूलो) | १,०००१०० | |
| २७. | कुटानी पिसानी मिल दर्ता (सानो) | ३००१०० | |
| २८. | स (काठ) मिल दर्ता सिफारिस | १,०००१०० | |
| २९. | अपुताली सिफारिश | १,०००१०० | |
| ३०. | मोही लगत कट्टा सिफारिश | ३००१०० | |
| ३१. | घर कायम सिफारिस | ३००१०० | |
| ३२. | छात्रवृत्ति सिफारिश, स्वदेश र विदेशको लागि | २००१-/५००१- | |
| ३३. | विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति सिफारिस | १००१०० | |
| ३४. | अपाङ्ग/गम्भीर प्रकृतिका रोग सिफारिश | निशुल्क | |
| ३५. | अस्थायी बसोबास सिफारिश | २००१०० | |

| सि. नं. | विवरण | शुल्क तथा दस्तुरको दर रु. | कैफियत |
|---------|--|------------------------------|---------------------|
| ३६. | स्थायी बसोवास सिफारिश | २००१०० | |
| ३७. | आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता सिफारिश | ५००१०० | |
| ३८. | आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता सिफारिश | १००१०० | |
| ३९. | धारा जडान सिफारिश | २००१०० | |
| ४०. | जीवित रहेको सिफारिश | २००१०० | |
| ४१. | दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने र जन्म मिति प्रमाणित | ३००१०० | |
| ४२. | जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिश/प्रमाणित | ५००१०० | |
| ४३. | व्यवसाय वन्द सिफारिश | २००१०० | |
| ४४. | व्यापार व्यवसाय संचालन नभएको सिफारिश | २००१०० | |
| ४५. | कोट फि मिनाहा सिफारिश | निःशुल्क | |
| ४६. | नाबालक परिचय पत्र सिफारिश | १००१०० | |
| ४७. | गाउँपालिकाबाट बाहिर चौपाया खरिद विक्री सिफारिश | १००१०० | भैंडा बाखा |
| ४७.१ | गाउँपालिकाबाट बाहिर चौपाया खरिद विक्री सिफारिश | ५००१०० | गाई/भैंसी प्रतिगोटा |
| ४८. | उद्योग ठाउँसारी सिफारिश | ५००१०० | |
| ४९. | आन्तरिक वसाईसराइ सिफारिश | २००१०० | |
| ५०. | विद्यालय ठाउँ सारी सिफारिश | ३००१०० | |
| ५१. | निजी विद्यालय स्थापना अनुमति सिफारिस | ५,०००१०० | |
| ५१.१ | तह थप सिफारिस | २,५००१०० | |
| ५१.२ | कक्षा थप सिफारिस | २,०००१०० | |
| ५१.३ | स्कूल बस खरिद सिफारिस | १,०००१०० | |
| ५१.४ | प्राविधिक शिक्षा विषय थप सिफारिस | ३,०००१०० | |
| ५२. | सामु. विद्यालय तर्फ सरुवा महमति सिफारिस | ५००१०० | |
| | मार्कसिट प्रतिलिपी दस्तुर | १५०१०० | |
| ५३. | पारिवारीक/व्यक्तिगत विवरण सिफारिस | ३००१०० | |
| ५४. | जग्गा दर्ता सिफारिस | ३००१०० | |
| ५५. | संरक्षक सिफारिस (व्यक्तिगत) | २००१०० | |
| ५६. | संरक्षक सिफारिस (संस्थागत) | २००१०० | |
| ५७. | नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिस | ३००१०० | |
| ५८. | कोठा खोल्ने कार्यमा रोहवरमा बस्ने | २००१०० | |
| ५९. | निशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिश | निःशुल्क | |
| ६०. | अन्य कार्यालयको माग अनुसार विवरण खुलाई पठाउने सिफारिस | ३००१०० | |
| ६१. | विवाह प्रमाणित | ३००१०० | |
| | अविवाहित प्रमाणित | ५००१०० | |
| ६२. | घरायसी लेनदेन तमसुक/मन्जुरीनामा प्रमाणित | ३००१०० | |
| ६३. | जात/जाती प्रमाणित (जनजाती/दलित/खस आर्य) | ३००१०० | |
| ६४. | अंग्रेजिमा सिफारिश तथा प्रमाणीकरण | ५००१०० | |
| ६५. | जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्रतिलिपी सिफारिस | ३००१०० | |
| ६६. | वैंक खाता संचालन/वन्द सिफारिश | १००१०० | |

| सि. नं. | विवरण | शुल्क तथा दस्तुरको दर रु. | कैफियत |
|---------|---|-------------------------------|----------------------|
| ६७ | संघ संस्था नवीकरण सिफारिस दस्तुर | ३००१०० | |
| ६८ | संघ संस्था नवीकरण सिफारिस दस्तुर (जरिवाना) एक आन्व. मा नवीकरण नभएको अवस्थामा | ३००१०० | |
| ६९ | अन्य जिल्लामा दर्ता भइ यस गा.पा. मा कार्यक्रम गर्ने गै.स.स. सिफारिस दस्तुर | ५००१०० | |
| ७० | रु १० लाख सम्म को कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने | १०००१०० | |
| ७१ | कागजात प्रमाणित दस्तुर | ५००१०० | |
| ७२ | मुद्दा दर्ता दस्तुर | १००१०० | |
| ७३ | योजना संचालन पुस्तिका | ५००१०० | |
| ७४ | पुनः निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र (पक्की) | ५००१०० | |
| ७५ | सहकारी संघ संस्था कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमती पत्र दस्तुर | २०००१०० | |
| ७६ | सेवाप्रदायक संघ/संस्थाहरु(निर्माण,सप्लायर्स,विक्रेता)सूचिकृत दस्तुर | ५००१०० | |
| ७७ | नेपाली पेन्सन सिफारिस दस्तुर | ३००१०० | |
| ७८ | भारतीय पेन्सन सिफारिस दस्तुर | ५००१०० | |
| ७९ | बृटिस पेन्सन सिफारिस दस्तुर | १०००१०० | |
| ८० | सबै प्रकारका मुचुल्का | ३००१०० | |
| ८१ | परीक्षा शुल्क (निम्न स्तर, सहायक स्तर, अधिकृत स्तर) | ३००१- ५००१-१०००१- | |
| | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | | |
| १ | घटना दर्ता ३५ दिन भित्र | निःशुल्क | |
| २ | घटना दर्ता ३५ दिन नाघेपछि | २००१- | |
| ३ | घटना दर्ता प्रतिलिपी | ५००१- | |
| ४ | घटना दर्ता अग्रेजीमा | ५००१- | |
| ५ | नाम,थर जन्ममिति संशोधन सिफारिस | ३००१- | |
| | जलश्रोत समितिबाट निर्णय भई आएका विभिन्न प्रकारका जलश्रोत उपभोक्ता संस्थाहरुको दर्ता/नविकरण तथा प्रमाणपत्र दस्तुर | दर्ता शुल्क तथा दस्तुर रु. | नविकरण दस्तुर रु. |
| १. | खानेपानी तथा सिंचाईको मुहान दर्ता/नविकरण | १०००१- | ५००१- |
| २ | लघु जलविद्युत ५ किलोवाट देखि १० किलोवाट सम्मको दर्ता | ३०००१- | १५००१- |
| ३ | प्रमाण पत्र प्रतिलिपी | ५००१- | |
| | घ बर्गको इजाजत पत्र दर्ता/नविकरण | | |
| १ | इजाजतपत्र दर्ता दस्तुर | १५,०००१- | |
| २ | इजाजतपत्र नामसारी दस्तुर | ७,०००१- | |
| ३ | नवीकरण दस्तुर (असोज मसान्तसम्म ३,०००१- सो पछि दोब्बर) | | ३,०००१- |
| ४ | नवीकरण दस्तुर आर्थिक वर्ष काटे पछि | | १०,०००१- |
| ५ | इजाजत पत्र प्रतिलिपी | १०००१- | |
| | लेखापरीक्षक सूचिकृत शुल्क | | |
| १ | क. वर्ग | २,५००१- | |
| २ | ख. वर्ग | २,०००१- | |
| ३ | ग. वर्ग | १,५००१- | |

| सि. नं. | विवरण | शुल्क तथा दस्तुरको दर रु. | कैफियत |
|---------|--|------------------------------|--------------|
| ४ | घ. वर्ग | १,०००।- | |
| | सम्पत्ति मूल्यांलन | | |
| १ | रु. ५ लाख सम्मको | १,०००।- | |
| २ | रु. ५ लाख देखी माथि प्रति लाख रु.१००।- थप | १००।- | |
| | अन्य दर्ता दस्तुर | | |
| १ | आमा समूह दर्ता | ५००।- | २५०।- |
| २ | टोल विकास संस्था दर्ता | ५००।- | २५०।- |
| ३ | माछा पालन समूह दर्ता | ५००।- | २५०।- |
| ४ | उपभोक्ता समिति दर्ता | ३००।- | १५०।- |
| ५ | विनियम संशोधन | १,०००।- | |
| | आम्दानी प्रमाणित दस्तुर | | |
| १ | रु १ लाख सम्म | ५००।- | |
| २ | रु १ लाख भन्दा माथि प्रति लाख थप रु. १००।- | १००।- | |
| | काठ कटानी तथा विक्री/निकासी सिफारिस | आन्तरिक विक्री | वाह्य निकासी |
| १ | सुकेढलेका साल/सिसौको काठ निकासी प्रतिरुख | २००।- | २००।- |
| २ | खयर, चाँप १० रुख सम्म | २,०००।- | २,२००।- |
| ३ | १० रुख भन्दा माथि प्रति रुख थप रु.३००।- | ३००।- | |
| ४ | कु-काठ १० रुख सम्म (प्रति रुख रु. १००।-) | १,०००।- | |
| ५ | १० रुख भन्दा माथि प्रति रुख थप | १५०।- | |
| ६ | बाँस प्रति गोटा | ५।- | |
| ७ | दाउराको रुपमा प्रयोग हुने प्रति क्वीटल | ५०।- | १५०।- |
| | एकसाभेटर तथा जेसीबि गापामा सूचीकृत सेवा शुल्क (एक आर्थिक वर्षको लागि) | | |
| क) | १०० C.C. भन्दा माथिको क्षमता भएको एकसाभेटर | ५,०००।- | |
| ख) | २०० C.C. भन्दा माथि वा सो सरह क्षमता भएको एकसाभेटर | ७,०००।- | |
| ग) | ३०० C.C. भन्दा माथि वा सो सरह क्षमता भएको एकसाभेटर | १०,०००।- | |
| घ) | जे.सी.बि. | ३,०००।- | |
| ड) | Roller ग्रेडर | ३,०००।- | |

अनुसूची - १४

(दफा १६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

विक्री दर

| क्र.सं. | सामाग्रीहरु | इकाई | विक्री दर रु. | कैफियत |
|---------|--|-----------------|--|--------|
| १ | ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, रोडा, ग्राभेल (नीजि खानी बाट नदिजन्य पदार्थ समेत) | प्रति घन फिट | प्रदेश सरकारबाट तोके बमोजिमको दर प्रति क्यूफिट रु. उत्खनन् प्रति क्यूफिट : रु. ३।- लोडिङ्ग प्रति क्यूफिट : रु.१।- | |
| २ | माटो निकासी | प्रति घन फिट | प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिम | |
| २ | बोलपत्र वा दरभाउ पत्र फाराम | प्रति थान | रु १००० वा सो भन्दा माथि (सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार) | |

अनुसूची - १५
(दफा १६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
सम्पत्ति भाडा

| क्र. सं. | सम्पत्ति | भाडा दर रु. | कैफियत |
|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| | ठुलो हल (प्रति दिन) | १,०००।- | २५ जना माथि |
| | सानो हल (प्रति दिन) | ५००।- | २५ जनासम्म |
| | Total Station (प्रति दिन) | १,५००।- | |
| | Lebal Machine | १०००।- | |

अनुसूची - १६
(दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
दण्ड जरिवानाको दर

| क्र. सं. | कसूर | दण्ड जरिवाना (रु.) |
|----------|--|--|
| १. | चालु आ.ब. भित्र मालपोत, सम्पत्ति कर, सवारी कर, विज्ञापन कर तथा जडिबुटी, कवाडी, जिवजन्तु कर नतिरेमा | पहिलो वर्षको लागि १० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष देखि प्रतिवर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले |
| २. | दुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा बिक्रीको अनुमति प्राप्त गर्ने ब्यवसायी वा संस्थाले सम्भौतामा उल्लेख गरिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन् गरेमा वा अनुमति बेगर उत्खनन वा बिक्री गरेमा | उत्खनन/निकासी गरेको परिमाण जफत गरी प्रथम पटक टेक्टरलाई रु. १०,०००।- दोश्रो पटक बिस हजार र प्रथम पटक टिप्परको रु. २०,०००।- दोश्रो पटक रु. ४०,०००।- जरिवाना गरिनेछ । |
| ३. | नक्सा पास नगरी घर/भवन निर्माण कार्य गरेमा | २,०००।- (दुइ हजार रुपैया) जरिवाना |
| ४. | जथाभावी फोहोर मैला निष्काशन गरेमा | पहिलो पटक रु. २,०००।- त्यसपछि हरेक पटक दोब्बर गरि बढिमा ५०,०००।- सम्म |
| ५. | गाउँपालिकामा दर्ता वा इजाजत नलिई नयाँ ब्यवसाय संचालन गरेमा | रु. २,०००।- देखि रु.५,०००।- सम्म जरिवाना । |
| ६. | गाउँपालिकाले निषेध गरेका क्रियाकलाप संचालन गरेमा | गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरे बमोजिम रु. १,००,०००।- सम्म |

घर नक्शा पास दस्तुर

| सि. नं. | भौतिक संरचनाको विवरण | करको दर (प्रति वर्ग फिट) रु. | | |
|---------|--|------------------------------|------|------|
| | | नक्शा पास क्षेत्र | | |
| | | क | ख | ग |
| १. | आर. सि. सी. फ्रेम स्ट्रक्चर | | | |
| क) | भूमिगत तल्ला | ५१- | ४१५० | ४१- |
| ख) | जमिन तल्ला | ६१- | ५१५० | ५१- |
| ग) | पहिलो तल्ला | ७१- | ६१५० | ६१- |
| घ) | दोश्रो तल्ला | ८१- | ७१५० | ७१- |
| ङ) | तेश्रो तल्ला | ९१- | ८१५० | ८१- |
| च) | चौथो तला | १०१- | ९१५० | ९१- |
| छ) | पाँचौ तल्ला वा सो भन्दा माथि | १५१- | १२१- | १०१- |
| २ | सिमेन्टको जोडाईमा इटा हुंगाको गारो, आर.सि.सि. टायल | ५१- | ४१- | ३१- |
| ३ | सिमेन्टको जोडाईमा इटा वा हुंगाको गारो, आर.सि.सि, जस्ता पाताको छाना | ४१- | ३१- | २१- |
| ४ | माटोको जोडाईमा इटा वा हुंगाको गारो | ३१- | २१- | ११- |
| ५ | अन्य घर (माटोको जोडाई इटा वा हुंगाको गारो | २१- | ११- | १५० |

फिल्ड रेखाकन दस्तुर

| वडा नं. | प्रति कित्ता दर रु. | कैफियत |
|-----------------|---------------------|--|
| १ चिर्तुङ्गधारा | १,५००१- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००१- थप |
| २ पोखराथोक | १,५००१- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००१- थप |
| ३ नायरनमतलेस | १,५००१- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००१- थप |
| ४ खानीछाप | २,०००१- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००१- थप |
| ५ दर्लमडाँडा | २,०००१- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००१- थप |
| ६ यम्घा | २,०००१- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००१- थप |
| ७ खानीगाउँ | १,८००१- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००१- थप |
| ८ बराङ्गदी | १,८००१- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००१- थप |
| ९ चापपानी | १,८००१- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००१- थप |

आ.व. २०८०/०८१ को लागि जग्गाहरुको न्यूनतम मूल्य निम्नानुसार कायम गरिएको छ :

तपसिल :

| हालको वडा नं. | साविकको गा.वि.स. वडा नं. | किसिम | अवल | दोयम | सिम | चाहार |
|---------------|--------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| १ | चिर्तुङ्गधारा १-९ | खेत | ८६,२५०।- | ६९,०००।- | ४६,०००।- | २३,०००।- |
| | | पाखो | ५७,५००।- | ३४,५००।- | १७,२५०।- | ९,२००।- |
| २ | पोखराथोक १-९ | खेत | ९२,०००।- | ७४,७५०।- | ४०,२५०।- | २८,७५०।- |
| | | पाखो | ३४,५००।- | २३,०००।- | १७,२५०।- | ६,९००।- |
| ३ | नाययरनमतलेस १-९ | खेत | ५७,५००।- | ४६,०००।- | २८,७५०।- | ६,९००।- |
| | | पाखो | ४०,२५०।- | २८,७५०।- | १७,२५०।- | ५,७५०।- |
| ४ | खानीछाप १-९ | खेत | ४०,२५०।- | २८,७५०।- | १७,२५०।- | ५,७५०।- |
| | | पाखो | २३,०००।- | १७,२५०।- | ११,५००।- | ४,६००।- |
| ५ | दर्लमडाँडा १-९ | खेत | ४६,०००।- | ३४,५००।- | १७,२५०।- | ६,९००।- |
| | | पाखो | २८,७५०।- | २३,०००।- | १३,८००।- | ५,७५०।- |
| ६ | यम्घा १-९ | खेत | ६९,०००।- | ५१,७५०।- | २८,७५०।- | ११,५००।- |
| | | पाखो | ४०,२५०।- | ३४,५००।- | ११,५००।- | ५,७५०।- |
| ७ | खानीगाउँ १-९ | खेत | ४६,०००।- | ३४,५००।- | १७,२५०।- | ५,७५०।- |
| | | पाखो | २८,७५०।- | २०,७००।- | ११,५००।- | ४,६००।- |
| ८ | बराङ्गदी १,७,८,९ | खेत | ६९,०००।- | ४६,०००।- | २८,७५०।- | १७,२५०।- |
| | | पाखो | ४०,२५०।- | २८,७५०।- | १७,२५०।- | ८,०५०।- |
| ९ | चापपानी १-९ | खेत | ६३,२५०।- | ४६,०००।- | २८,७५०।- | ६,९००।- |
| | | पाखो | ४०,२५०।- | २८,७५०।- | १७,२५०।- | ५,७५०।- |

यस गाउँपालिका अन्तर्गतका बजार क्षेत्रमा पर्ने र मुख्य मोटर बाटोसँग जोडिएका स्थानका घडेरी योग्य तपसिलका जग्गाहरुको न्यूनतम मूल्य कायम गरि पठाउने निर्णय गरियो ।

तपसिल :

- (१) सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिएका घोरवन्दा, गाब्टुङ्ग, खोरबारी, ढड्यान, धरमपानी र आर्यभन्ज्याङ्ग बजार क्षेत्रका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. १,४३,७५०।-
- (२) वडा नं. १ चिलाङ्गदी-जरवादी मोटर बाटोसँग जोडिएका घडेरी जग्गाहरु प्रति आना रु. १,३८,०००।-
- (३) वडा नं.१,२,३ का माडी रिङरोडसँग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गा प्रति आना रु. १,४३,७५०।-
- (४) वडा नं. १ खोरबारी-चिर्तुङ्गधारा-बौद्यगुम्बा पक्की सडकसँग जोडिएको घडेरी जग्गा प्रति आना रु.१,२५,०००।-
- (५) वडा नं. १ घोरवन्दा-कोठेचौर-सन्हाप-पिप्ले, माडीफाँट सडकसँग घडेरी जग्गा प्रति आना रु.७५,०००।-
- (६) वडा नं. १ घोरवन्दा-फोक्स्यार-माडीफाँट सडकसँग जोडिएका खेती/घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ७५,०००।-
- (७) वडा नं. १ खोरबारी-शिखर-भलुवाचौर मोटरबाटोसँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ७५,०००।-

- (८) वडा नं. २ धरमपानी चोक, वडा कार्यालय जाने मोटर बाटोसँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ७५,०००।-
- (९) वडा नं. २ ढड्यान-छतिवन-नेवाखर्क जाने मोटर बाटोसँग जोडिएका घडेरीजग्गा प्रतिआना रु.१२,०००।-
- (१०) पोखराथोक देउराली-सिंचास-चौपारी सडकसँग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गा प्रति आना रु. ८०,०००।-
- (११) वडा नं. ३ सिंचास-स्वास्थ्य चौकी मोटरबाटो सँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. १,२०,०००।-
- (१२) वडा नं. ४ र ५ का राम्दी बजार क्षेत्रका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. २८,७५०।-
- (१३) चिलाङ्गदी-बगनास-नायर-खानीछाप-राम्दी मोटर बाटोसँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु.११,५००।-
- (१४) वडा नं. ५ गेभाठाटी, दरुङ्गा, बजार क्षेत्रका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ११,५००।-
- (१५) वडा नं. ६ गुंगा-दर्पूक बजार क्षेत्र र कोरीडोर सडकसँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. १३,८००।-
- (१६) वडा नं. ६ मौलीभन्ज्याङ्ग-गुंगा-दर्पूक मोटरबाटोसँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ११,५००।-
- (१७) वडा नं. ६ टोक्से-यम्घा-लाम्दी-शिखरडाँडा-मन्द्रान मोटरबाटोसँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ११,५००।-
- (१८) वडा नं. ७ र ८ देउराली-दोबाटो बजार क्षेत्र र ७ नं. वडा कार्यालय देखि कल्लाबारी रानीमहल जाने सडकसँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ११,५००।-
- (१९) दैलातुङ्ग-रानीमहल कालीगण्डकी कोरीडोरसँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ९,२००।-
- (२०) वडा नं.८ भिरभन्ज्याङ्ग-देउराली वडा कार्यालय जाने मोटर बाटोसँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ११,५००।-
- (२१) वडा नं. ९ बगनास, चापपानी बजार क्षेत्र र सडकसँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ११,५००।-
- (२२) वडा नं.९ चिलाङ्गदी-चापपानी,सल्लाघारी बभादी मोटर बाटोसँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ९,२००।-
- (२३) चिलाङ्गदी-चापपानी-गेभाठाटी-दर्लमडाँडा-मौलीभन्ज्याङ्ग-गरनडाँडा-राम्दी मोटर बाटोसँग जोडिएका घडेरी जग्गा प्रति आना रु. १२,०००।-

पुनश्च :-

- (२४) पक्की घरको हकमा प्रति वर्गफिट रु. १५००।- न्यूनतम मूल्याङ्कन सिफारिस गरिएको छ ।